

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 44-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 1, 2023 (PHALGUNA 10, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 मार्च, 2023

संख्या 08/जीएसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप—धारा (1) और धारा 15 की उप—धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी—2, दिनांक 30 जून, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35 / एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

- (i) अनुसूची I—2.5% में, क्रम संख्या 91क के सामने, खाना 3 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः
 - "गन्ने के गुड़, पलमायरा गुड़ सहित सभी प्रकार के गुड़, जो प्री–पैकेज्ड और लेबल किये गए हों; खांडसारी शुगर, जो प्री–पैकेज्ड और लेबल की गई हो; राब, जो प्री–पैकेज्ड और लेबल की गई हो";
- (ii) अनुसूची II—6% में, क्रम संख्या 186 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् —

''186क 8214	पेंसिल शार्पनर्स";
-------------	--------------------

- (iii) अनुसूची III—9% में, क्रम संख्या 302क के सामने, खाना 3 के नीचे, अंत में, "[पेंसिल शार्पनर्स के अलावा]" कोष्टक और शब्द रखे जाएंगे;
- 2. यह अधिसूचना प्रथम मार्च, 2023 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st March, 2023

No. 08/GST-2.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.35/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

- (i) in Schedule I -2.5%, against serial number 91A, under column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -
 - "Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, pre-packaged and labelled; Khandsari Sugar, pre-packaged and labelled; Rab, pre-packaged and labelled";
- (ii) in Schedule II–6%, after serial number 186 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"186A	8214	Pencil sharpeners";
-------	------	---------------------

- (iii) in Schedule III –9%, against serial number 302A, under column 3, the brackets and words "[other than pencil sharpeners]" shall be inserted at the end.
- 2. This notification shall come into force with effect from the 1st March, 2023.

ANURAG RASTOGI, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.

10235—C.S.—H.G.P., Pkl.